विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक सार्थक पहल — सोशल ऑडिट

प्रसून कुमार*
जितेन्द्र कुमार पाटीदार**

भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर वर्ष 2018–19 से विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत समग्र शिक्षा योजना संचालित की जा रही है जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है ताकि सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस योजना का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन कितनी कुशलता के साथ किया जा रहा है इसका आकलन करने के लिए वर्ष 2021 में सामुदायिक भागीदारी से सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट के दिशा-निर्देश भी अगस्त 2022 में जारी किए गए थे। यह लेख समग्र शिक्षा योजना तथा उसके सोशल ऑडिट के महत्व एवं प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है जिसमें सोशल ऑडिट का परिचय, सोशल ऑडिट के चरण तथा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की सार्थकता के बारे में चर्चा प्रस्तुत की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है, जिसका उद्देश्य अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना है। ऐसे व्यक्ति जो तर्कशील विचार, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कार्य करते हों एवं जो विनम्र, साहसी और सहनशील हों। यह नीति सभी व्यक्तियों में जीवन कौशल, नैतिक, मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों के विकास की कल्पना करती है। साथ ही सभी बच्चों में उनकी विशिष्ट क्षमताओं को पहचानकर, उनके विकास हेतु प्रयास तथा उनमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर बल देती है। यह नीति विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा जिसमें उन्हें सीखने के तौर-तरीके और पठन सामग्री तथा कार्यक्रमों को चुनने की स्वतंत्रता हो, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में सीखने के केंद्र में शिक्षक है, जो अनुभव आधारित शिक्षणशास्त्र के साथ-साथ खिलौना-आधारित, खेल-आधारित तथा आई.सी.टी. एवं कला समन्वित शिक्षणशास्त्र को अपने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में क्रियान्वित करते हुए विद्यार्थियों का सतत आकलन करते हुए, उनका समग्र विकास करने में महत्वपूर्ण

* *शोधार्थी*, डिपार्ट्मेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110007
** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 110016

भूमिका निर्वहन करेंगे। यह शिक्षा नीति सुनिश्चित करती है कि पाठ्यक्रम या पाठ्येतर गतिविधियों के बीच; कला और विज्ञान के बीच एवं व्यावसायिक या शैक्षणिक धाराओं में, किसी भी प्रकार का अलगाव न हो। यह नीति समूची शैक्षणिक प्रणाली में पारदर्शिता, विविधता, अखंडता, संसाधन कुशलता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान सुनिश्चित करती है, जिसमें बहुविषयक, समग्र भारतीय जड़ों एवं गौरव से जुड़ी हुई शिक्षा की परिकल्पना की गई।

समग्र शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्यालयी शिक्षा के लिए चल रही तत्कालीन तीन योजनाएँ— सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) और अध्यापक शिक्षा (टी.ई.) को शामिल कर एक एकीकृत समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2018–19 में लागू की गई। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुसार संशोधित कर लिया गया है ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके। इस योजना का लक्ष्य शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के साथ-साथ प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में विशेष रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) पर बल दिया गया है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक बच्चे की प्री-स्कूल तक पहुँच हो तथा उनमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास हो। इस हेतु 'निपुण भारत' अभियान जुलाई 2021 से चलाया जा रहा है। इस योजना में शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समर्थन एवं सहयोग पर बल दिया गया है। इसमें गुणवत्ता एवं नवाचार, जेंडर समानता एवं समावेशी शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आई.सी.टी. और डिजिटल पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति और अध्यापक शिक्षा संस्थानों एवं अध्यापक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण योजना के कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। इस योजना के सुगमतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए तथा इसकी निगरानी हेतु विभिन्न पोर्टल, जैसे— यूडायस+, शगुन और चाइल्ड ट्रैकिंग आदि का प्रावधान किया गया है। साथ में विद्यालयी शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (नीपा), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) आदि राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.), विशेष फोकस ज़िलों (एस.एफ.डी.), वामपंथी अतिवादी ज़िलों, सीमावर्ती क्षेत्रों एवं 117 आकांक्षी ज़िलों में योजना के हस्तक्षेपों और गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है। विद्यालयी शिक्षा की विद्यार्थियों तक पहुँच एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा योजना में कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रावधनों को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

इस योजना का ज़मीनी स्तर पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए वर्ष 2021 में सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया था।

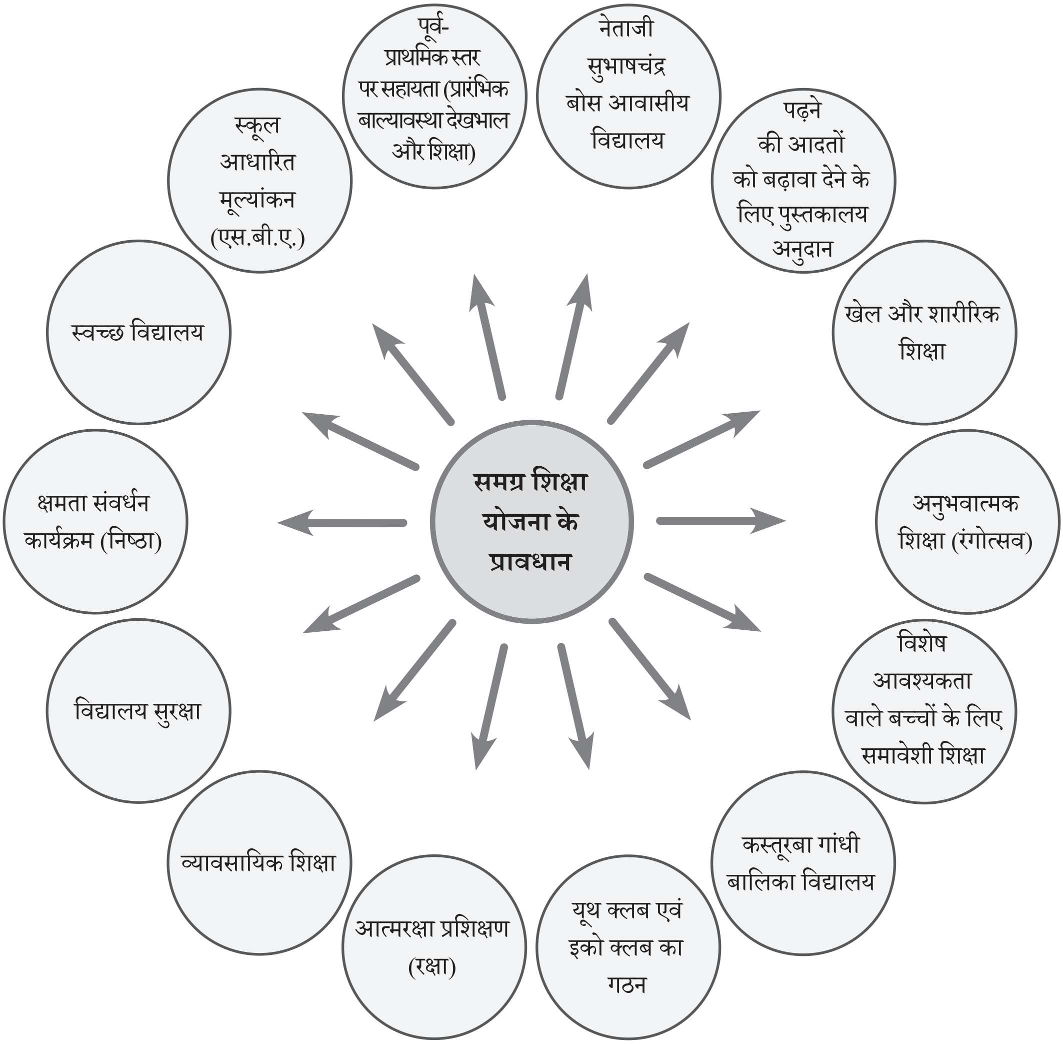

चित्र 1— समग्र शिक्षा योजना के प्रावधान

समग्र शिक्षा योजना का सोशल ऑडिट

समग्र शिक्षा योजना के चित्र में दर्शाए गए प्रावधानों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन हेतु सोशल ऑडिट की आवश्यकता महसूस की गई है। सोशल ऑडिट का शाब्दिक अर्थ है, सामाजिक परीक्षण। यह केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना के निष्पादन को मापने, ज़मीनी स्तर पर लागू करने, समझने और सुधारने का एक न्यायसंगत तरीका है। इस प्रक्रिया में किसी भी योजना और उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं निगरानी सरकार व समाज के लोग सामूहिक रूप से करते हैं। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है

कि यह वित्तीय लेखापरीक्षण नहीं है, जो किसी योजना के वित्तीय लेखा-जोखा तक सीमित होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह भी जाँचा जाता है कि लोगों में किसी योजना के प्रति कैसा रुझान और समझ बनी है। साथ ही यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य योजना से जुड़ी सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाना है। विज (2011) ने बताया की यह सोशल ऑडिट एक सहयोगात्मक शासन तंत्र है। यह ऑडिट किसी योजना या कार्यक्रम की सहभागिता के साथ मूल्यांकन करने के साथ-साथ गरीबों का सशक्तीकरण भी करता है। केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (कीला) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट (मार्च, 2021) के अनुसार, सोशल ऑडिट वह प्रक्रिया है, जो राज्य और नागरिकों (समाज) के बीच विश्वास पैदा करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन. आई.आर.डी.पी.आर.) की रिपोर्ट, (2016–17) के अनुसार, सोशल ऑडिट आम लोगों और सार्थक कार्य करने के लिए उत्तरदायी लोगों के बीच की खाई को कम करता है। प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सिन्हा (2008) ने बताया है कि लोकतंत्र में लोग अब अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से शासन की प्रक्रिया में भागीदार होना चाहते हैं। वर्तमान में भारत सरकार सोशल ऑडिट के माध्यम से लोगों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार होने को बढ़ावा दे रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2016) के मनरेगा प्रभाग के एक परिपत्र के अनुसार सोशल ऑडिट के कुछ सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं—

- सूचना तक पहुँच (जानकारी)
- निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी (भागीदारी)
- नागरिकों को सुनने का अधिकार (सुनवाई)
- नागरिकों की सुरक्षा
- सामूहिक मंच (जनता का मंच)
- रिपोर्ट प्रसार (प्रसार)

भारत में सोशल ऑडिट का इतिहास पुराना रहा है। वर्ष 1990 में इसकी शुरुआत राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन के श्रमिकों और किसानों के संघर्ष के माध्यम से हुई। यह संघर्ष श्रमिकों और किसानों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए किया गया था। वर्ष 2005 में सर्वप्रथम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अर्थात् मनरेगा में धारा 17 जोड़ी गई, जिसमें सोशल ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी प्रभावशाली उपयोगिता के कारण इसे भारत सरकार द्वारा अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों में भी लागू किया गया, जैसे— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में सोशल ऑडिट को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में भी सोशल ऑडिट को अनिवार्य कर दिया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2014 में मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) कार्यक्रम, जिसे अब पी.एम. पोषण कार्यक्रम कहते हैं, में सोशल ऑडिट को लागू किया गया था। वहीं मेघालय राज्य की सरकार ने वर्ष 2017 से अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में सोशल ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया है। सिन्हा (2022) ने बताया कि किसी योजना या कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन हेतु यह

एक उपयोगी प्रक्रिया है, इसलिए इसे केंद्र या राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में लागू किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 अगस्त, 2022 को समग्र शिक्षा योजना का सोशल ऑडिट करने के दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में सोशल ऑडिट की अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत और आवश्यकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह दिशानिर्देश समग्र शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट के स्तर (फेज)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने समग्र शिक्षा का सोशल ऑडिट करने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में शिक्षा से जुड़े सभी स्तरों पर पदाधिकारियों और लोगों की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की है। इसमें उच्च स्तर पर, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पदाधिकारियों से लेकर विद्यालयी स्तर (ज़मीनी स्तर) पर आम लोगों की हिस्सेदारी और जवाबदेही निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर सोशल ऑडिट की ज़िम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के पास है, जबकि सोशल ऑडिट से जुड़े हितधारकों के प्रशिक्षण की ज़िम्मेदारी रा.शै.अ.प्र.प. की है। जबकि राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा के सोशल ऑडिट करने के लिए एक सोशल ऑडिट यूनिट (एस.ए.यू.) का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे। इसी स्तर पर मास्टर ट्रैनर्स भी पहचाने जाएँगे, जो रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित होने के बाद जिले, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर सोशल ऑडिट के हितधारकों को प्रशिक्षण देंगे तथा विद्यालय स्तर पर सोशल ऑडिट करने में योगदान देंगे। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (डी.ई.ओ.) या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर (डी.पी.ओ.) की ज़िम्मेदारी होगी कि वे क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स (सी.एस.ए.) की टीम का गठन करें। ब्लॉक स्तर पर सोशल ऑडिट की ज़िम्मेदारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बी.ई.ओ.), ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर (बी.पी.ओ.), ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कॉर्डिनेटर्स (बी.आर.सी.सी.) इत्यादि की होगी। उन्हें ब्लॉक या क्लस्टर स्तर पर एक जन सुनवाई समूह का भी गठन करना होगा। विद्यालय स्तर पर एक सोशल ऑडिट फेसिलिटेशन टीम (सॉफ्ट) का गठन करना होगा, जो विद्यालयों का सोशल ऑडिट करेगी। इन विभिन्न स्तरों को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1— सोशल ऑडिट के ज़िम्मेदार विभाग एवं कार्यालय तथा संबंधित अधिकारी एवं हितधारक

स्तर	ज़िम्मेदार विभाग एवं कार्यालय	संबंधित अधिकारी और हितधारक
राष्ट्रीय	एम.ओ.ई./रा.शै.अ.प्र.प.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग/रा.शै.अ.प्र.प./नोडल अधिकारी
राज्य	एस.पी.ओ./रा.शै.अ.प्र.प.	एस.ए.यू., एस.पी.डी. (समग्र शिक्षा), राज्य नोडल अधिकारी
जिला	जिला(डी.ई.ओ./डी.पी.ओ.आई./डाइट)	डी.ई.ओ./ डी.पी.ओ. या समकक्ष, मास्टर ट्रैनर्स
क्लस्टर/ ब्लॉक	ब्लॉक (बी.आर.सी.)	क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स, बी.ई.ओ. या समकक्ष/ बी.आर.सी.सी./ सी.आर.सी., जन सुनवाई जिसमें समुदाय के सदस्य शामिल हों
विद्यालय	कक्षा	विद्यार्थी
	विद्यालय	प्रधानाचार्य/प्रधान शिक्षक/ शिक्षक समूह
	गाँव और समुदाय	सभा/अभिभावक/स्कूल प्रबंधन समिति

समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट के चरण

सोशल ऑडिट का कार्य तीन चरणों में किया जाना प्रस्तावित है, जिसे चित्र 2 में बताया गया है—

सोशल ऑडिट से पहले का चरण

- रा.शै.अ.प्र.प., शिक्षा मंत्रालय की साझेदारी से प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना और मास्टर ट्रैनर्स को कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित करना।
- राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सोशल ऑडिट यूनिट (एस.ए.यू.) का गठन।
- एस.ए.यू. सोशल ऑडिट हेतु एक वार्षिक कैलेंडर बनाना।
- एस.ए.यू. द्वारा मास्टर ट्रैनर्स और क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स को चिह्नित करना।
- मास्टर ट्रैनर्स द्वारा डाइट के साथ मिलकर सी.एस.ए. और सॉफ्ट सदस्यों को प्रशिक्षित करना।

सोशल ऑडिट का चरण

- सॉफ्ट की टीम द्वारा एक निर्धारित दिन को एक विद्यालय का सोशल ऑडिट करना।
- सॉफ्ट टीम द्वारा सभी जानकारियों को स्कूल सोशल ऑडिट फॉर्मेट के माध्यम से क्लस्टर या ब्लॉक स्तर पर रिपोर्ट करना।
- सोशल ऑडिट प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत ब्लॉक या क्लस्टर स्तर पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना, जिसमें जिला ब्लॉक स्तरीय शिक्षा विभाग, एस.ए.यू., संस्थान और एस.एम.सी. आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- सॉफ्ट टीम द्वारा सोशल ऑडिट के उपरांत सभी जानकारियों को समेकित कर जन सुनवाई समूह के सामने चर्चा के लिए रखना।

सोशल ऑडिट के बाद का चरण

- सी.एस.ए. की टीम द्वारा स्कूल सोशल ऑडिट फॉर्मेट के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारियों को समेकित करके क्लस्टर/ब्लॉक सोशल ऑडिट फॉर्मेट के माध्यम से जिले स्तर पर साझा करना।
- डी.ई.ओ. या जिले स्तर के अन्य पदाधिकारीगणों द्वारा सोशल ऑडिट में पाई गई कमियों में सुधार हेतु सार्थक कदम उठाना तथा इसकी रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट के माध्यम से राज्य स्तर पर सोशल ऑडिट यूनिट से साझा करना।
- सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा स्टेट रिपोर्ट फॉर्मेट के माध्यम से सोशल ऑडिट के दौरान संकलित सभी जानकारियाँ केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय को भेजना।

चित्र 2— सोशल ऑडिट के चरणवार किए जाने वाले कार्य

गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट की सार्थकता

विद्यालयी शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट महत्वपूर्ण है। सोशल ऑडिट ज़मीनी स्तर (विद्यालयी स्तर) पर की गई कार्रवाई पर आधारित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और व्यापक होने के साथ एक समर्थ गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान प्रक्रिया है। यहीं सभी विशेषताएँ इसे विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सार्थक बनाती है। इनमें से कुछ विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है—

- **ज़मीनी स्तर (विद्यालयी स्तर की प्रक्रिया)**— इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता हेतु समग्र शिक्षा योजना के बारे में जागरूकता और समझ विकसित होगी। यह लोगों को शिक्षा से जुड़े अधिकारों से परिचित करेगी।

विद्यालयी स्तर पर सॉफ्ट की टीम तथा जन सुनवाई समूह में आम लोगों की भूमिका से ज़मीनी (विद्यालयी) स्तर पर मौजूद समस्याओं को उजागर करेगी। आम लोगों की सहभागिता से इस योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में चिह्नित अंतराल को पाटने में मदद मिलेगी।

- **कार्रवाई आधारित प्रक्रिया**— सोशल ऑडिट कार्रवाई आधारित प्रक्रिया है। यह खामियों को खोजने के बजाय वास्तविक तथ्यों को खोजने की प्रक्रिया है। इससे जुड़े सभी हितधारक, जैसे— सॉफ्ट टीम के सदस्य, क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स इत्यादि बिना पूर्वाग्रह के विद्यालय स्तर से जुड़ी जानकारी की रिपोर्टिंग करेंगे। इस जानकारी के आधार पर उजागर हुई समस्याओं को डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट और स्टेट रिपोर्ट फॉर्मेट में गंभीरता से लिखा जाएगा। साथ में जो भी उत्तरदायी अधिकारी हैं, वह उन समस्याओं के समाधान से जुड़ी समयबद्ध कार्रवाई की भी रिपोर्टिंग इन रिपोर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। अधिकारीगण जन सुनवाई के दौरान भी समस्याओं के समाधान से जुड़ी उचित समयबद्ध कार्रवाई के बारे में लोगों को बताएँगे।
- **व्यापक प्रक्रिया**— यह एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12 कक्षा तक के सभी विद्यालयों से जुड़े सभी आयामों का अवलोकन किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यालय की भौतिक संरचना व संसाधनों, शिक्षक एवं विद्यार्थियों से जुड़े हुए कारकों, प्रशासन एवं वित्त, सुरक्षा एवं बचाव तथा व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी जानकारियाँ एकत्रित की जाएँगी। उसमें डे विद्यालयों (गैर-आवासीय) के साथ-साथ आवासीय विद्यालयों जैसे के.जी. बी.वी. एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं। देश में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा 2026 तक देशभर के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के सोशल ऑडिट का प्रस्ताव है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया**— सोशल ऑडिट प्रक्रिया में विद्यालयी शिक्षा एवं समुदाय से जुड़े सभी हितधारकों का समावेशन इसे लोकतांत्रिक बनाता है। विद्यालय में विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों तथा अन्य हितधारकों, जैसे– अभिभावकों, विद्यालय प्रशासकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, समुदाय के सदस्य आदि इस प्रक्रिया के सहभागी हैं। यह प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के सभी हितधारकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, पंथ, रंग, जेंडर और जाति का सम्मान करते हुए उनकी राय को महत्व देती है। जन सुनवाई सोशल ऑडिट की एक प्रमुख विशेषता है, जो इसे लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाती है। ग्राम या ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई, सोशल ऑडिट में आम जनमानस को जुड़ने और अपनी बात को रखने का अवसर देती है। इसलिए यह आम लोगों से जुड़ने और सवाल पूछने का एक अच्छा मंच है।
- **न्यायसंगत प्रक्रिया**— सोशल ऑडिट की परिकल्पना राष्ट्रीय *शिक्षा नीति 2020* के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य हाशिए पर मौजूद सभी वर्गों, जैसे— विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.), महिला, अल्पसंख्यक,

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) इत्यादि तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच का अवलोकन करना है। इसके माध्यम से भी यह सुनिश्चित करना है कि न्यायसंगत ढंग से समग्र शिक्षा में प्रस्तावित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ी सुविधाएँ सभी लोगों तक पहुँचे। इसका मुख्य उद्देश्य समग्र विद्यालयी वातावरण को समावेशी बनाना है।

- **गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान प्रक्रिया**— सोशल ऑडिट की प्रक्रिया गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। इसमें आँकड़ों का संकलन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया से किया जाएगा। इसके लिए छह उपकरणों का निर्माण किया गया है। पहला उपकरण संस्थागत प्रश्नावली है, जिसके माध्यम से यह मात्रात्मक आँकड़ों का संकलन किया जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा उपकरण क्रमशः प्रधानाचार्यों या प्रधान शिक्षकों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावलियाँ हैं। इन सभी उपकरणों के माध्यम से गुणात्मक आँकड़ों का संकलन किया जाएगा। मात्रात्मक और गुणात्मक आँकड़ों के संकलन और विश्लेषण के कारण यह एक समर्थ शोधात्मक प्रक्रिया है। इस कारण विद्यालयी स्तर अर्थात ज़मीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ी हुई तथा भावी समस्याएँ भी वैज्ञानिक तरीके से और पूर्णरूपेण उजागर होंगी, जिससे उनका उचित रूप से समाधान किया जा सकेगा।

समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट का प्रतिफल (आउटकम)

समग्र शिक्षा योजना के सोशल ऑडिट से लोगों में इस योजना और राष्ट्रीय *शिक्षा नीति 2020* के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता आएगी तथा उनमें इस योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में समझ बढ़ेगी। यह 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की विद्यालयों तक पहुँच और ठहराव सुनिश्चित करेगी। यह शिक्षा के बुनियादी स्तर के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास भी सुनिश्चित करेगी। लोग इस योजना तथा आर.टी.ई. से जुड़े हुए अपने अधिकारों तथा अनुदान, जैसे— यूनिफॉर्म, पुस्तकों आदि के बारे में जागरूक होंगे। यह योजना विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, जेंडर एवं समानता, गुणवत्ता एवं नवाचार, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, खिलौना एवं कला समावेशित शिक्षा, अनुभव-आधारित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आई.सी.टी. और डिजिटल शिक्षा के प्रयोग सुनिश्चित करेगी। यह एक ज़मीनी और व्यापक प्रक्रिया है, इसलिए विद्यालय के विभिन्न स्तरों, जैसे— बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक स्तर की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए कारवाई हेतु दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होगी। इस प्रक्रिया के कार्रवाई आधारित होने से समस्याओं का निवारण उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा में किया जाएगा। इस प्रक्रिया को न्यायसंगत और लोकतांत्रिक होने के कारण, इसमें सभी हितधारकों, जैसे— विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालय प्रशासकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों आदि के विचारों एवं सुझावों को

समावेशी रूप से जगह मिलेगी तथा लोगों में इसके प्रति विश्वास बढ़ेगा। यह गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान प्रक्रिया होने के कारण विद्यालयी शिक्षा के क्रियान्वयन से जुड़ी छुपी हुई, समस्याओं को भी पूर्णरूपेण उजागर करेगी तथा उनके निवारण हेतु सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

इस लेख के माध्यम से समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए की गई पहलों एवं उनके सुचारु रूप से क्रियान्वयन और मूल्यांकन हेतु सोशल ऑडिट के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सोशल ऑडिट एक सार्थक प्रक्रिया है, जिसे यदि सुचा रूप से संपन्न किया जाए तो यह समग्र शिक्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। इस प्रक्रिया के व्यापक, ज़मीनी, लोकतांत्रिक, न्यायसंगत, समावेशी और कारवाई आधारित होने के कारण यह विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक आवश्यक पहल होगी। साथ ही यह एक वृहद स्तर की गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रक्रिया है इसलिए वर्तमान शैक्षिक परिवेश में इसकी सार्थकता और बढ़ जाती है। विद्यालयी शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों का परस्पर सहयोग तथा प्रेरणा इस प्रक्रिया को सफल बनाने की कुंजी है।

संदर्भ

इलियास, एम., एन. सीमा और यू. श्रमजीवी. 2016–2017. *ग्राम विकास पर सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रभाव राँची जिले, झारखंड में एक केस अध्ययन.* 10 अप्रैल 2023 को http://nirdpr.org.in/nird_docs/casestudies/shramjivi/shramjivi5.pdf से प्राप्त किया गया.

एन.आई.आर.डी.पी.आर. की रिपोर्ट 2016–17. इम्पैक्ट ऑफ सोशल ऑडिट ऑन विलेज डेवेल्पमेंट—ए केस स्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन रांची (झारखंड). 12 अप्रैल 2023 को linkirdpr.org.in/ird-docs/casestudies/shramjivi/shramjivi5.pdf से प्राप्त किया गया.

कीला 2021. *सोशल ऑडिट रिपोर्ट 15 मई, 2023 को* link-https://www.kila.ac.in/wp-content/uploads/2021/03/social_audit_report 2021.pdf से प्राप्त किया गया.

ग्रामीण संसाधन विकास मंत्रालय. 2016. *कार्यालय ज्ञापन एफ. नं. एल-11033/40/2016 आरई-वीएलएल दिनांक 19.12.2016. नई दिल्ली.* 15 मार्च 2018 को http://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/1948Social_Audit_.pdf. से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2018. *समग्र शिक्षा योजना.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

विज, निधि. 2011. 'बिल्डिंग कैपैसिटिज फॉर एम्पॉवरमेंट— द मिसिंग लिंक बिटविन सोशल ऑडिट इन महात्मा गांधी नेशनल रुरल इम्प्लोयमेंट गारंटी एक्ट इन इंडिया' पर केस स्टडी सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक संरक्षण पर अंतरराष्टीय सम्मेलन, 13–15 अप्रैल 2011. इंस्टिट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज, यूनाइटेड किंगडम.

शिक्षा मंत्रालय. 2022. *समग्र शिक्षा के सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश.* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

सिन्हा, आर.के. 2008. रोजगार कार्यक्रमों में जवाबदेही— नरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षा का मामला. *भागीदारी और शासन.* 1(1).

———. 2022. मनरेगा से परे विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा का विस्तार करना. *बिहार जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.* 19(1), 47–56.